नेषनल सीड्स कॉरपोरेषन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

क्रमांकः – एन0एस0सी0/सर/कृषि/23/2019–20– दिनांकः –12.06.2019

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज0) द्वारा फार्म 02 खण्ड़ों के चकों पर गिरें/सुखें पेड़ों को काटकर अपनें साधन में लोडकर खण्ड़–4 व खण्ड़–5 में स्थित विनोंइग सैंटर तक पहुॅचानें के लिये इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदायें दिनांक 05.07.2019 को सायं 3.00 बजे तक ली जायेगी और उसी दिन सायं 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता निविदा–प्रपत्र रू.118/– (Including 18% GST) देकर फार्म कार्यालय से दिनांक 05.07.2019 को दोपहर 2.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। धरोहर राषि रू0 10000/– (रू0 दस हजार मात्र) प्रति खण्ड़ के हिसाब से डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम से देय हो, धरोहर राषि के रूप में जमा करवाना होगा । निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व षर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

प्रबन्धक (उत्पादन)

<u>केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ के दोनों खण्ड़ों के विभिन्न चकों पर गिरे हुए व खड़े सूखें पेड़ों को काटकर अपनें साधन में लोडकर खण्ड़–4 व खण्ड़–5 में स्थित धर्मकांटे पर तुलवा कर पर पहुँचानें हेतू नियम एवं शर्ते</u>

1. निविदा में भाग लेने के लिये प्रत्येक खण्ड के लिए रु0 10000/– मात्र प्रत्येक खण्ड़ के हिसाब से धरोहर राशि के रुप में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़ के पक्ष में सूरतगढ़ में देय हो देना होगा, बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगीं और यह धरोहर राशि सन्तोषजनक कार्य पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना पैन कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड़ अंकित हो व स्थायी पता का कापी निविदा के साथ संलग्न करनी अनविार्य हैं।
2. ठेकेदार को कार्य करनें का आदेश मिलनें के बाद तुरंत अपने साधन लगाकर कार्य शुरु करना होगा। यह कार्य खण्ड़प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा।
3. खण्ड़–4 का माल खण्ड़–4 विनोइंग सैंटर पर और खण्ड़–5 का माल खण्ड़–5 विनोइंग सैंटर पर पहुँचाना होगा। खण्ड़–4 के माल का वजन खण्ड़–4 के धर्मकाटें पर और खण्ड़–5 का माल खण्ड़–5 के धर्मकाटें पर करना होगा। उचित चालान के द्वारा ही लकड़ी विनोंइग सैंटर पर लाने की अनुमति होगीं।
4. यदि ठेकेदार कोई अनाधिकृत हरे खड़े वृक्ष को काटता हैं तो उसे फार्म निदेशक द्वारा निर्धारित जुर्मानें का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को किसी भी अनाधिकृत पेड़ को काटनें के मामलें में फार्म संपति के रुप में जमा कराना होगा।
5. निविदा की उच्च बोली/निविदादर की स्वीकृति/अस्वीकृति उसी दिन सायं या एक सप्ताह के अंदर घोषण कर दी जायेगी। निदेशक को बिना कारण बताये किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
6. लदाई/उतराई आदि के समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा तथा पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार के श्रमिकों के हर प्रकार की जिम्मेंवारी जैसे Insurance & Driving License इत्यादि पूर्ण रुप से ठेकेदार की होगीं।
7. कार्य करने की अवधि सुबह 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ही होगी। कार्य अवधि कार्य आदेश से 31.03.2020तक होगी ।
8. कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा फार्म का किसी प्रकार का नुकसान किया गया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
9. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी,इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
10. यदि कोई ठेकेदार कार्य को बीच में छोड देता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर और बकाया कार्य किसी अन्य ठेकेदार से करवाया जायेगा ।

यदि इसकों करवानें में फार्म को किसी पर का आर्थिक नुकसान होता हैं उसकी भरपाई ठेका बीच में छोडनें वाले ठेकेदार से की जायेगी और ठेकेदार को संस्था की डिलिस्ट में डाल दिया जायेगा।

12. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 100.00 रूपये का स्टाम्प अपने खर्चे से खरीद कर व सभी शर्तो को उस पर लिखकर देना होगा कि मुझे सभी शर्ते मंजूर हैं।

आरबीट्रेशन

इस संबंध में राष्टीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा विवाद नहीं सुलझनें की स्थिति में मामले का समाधान/निपटारा Arbitration & Conciliation Act 1996 की प्रक्रिया के तहत किया जायेगा तथा एकल विवाचन (Arbitration) की नियुक्ति सक्षम अधिकारी/अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक, राष्टीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा इसी अधीनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार होगी। विवाचन का फैसला अतिंम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये। विवाधन का स्थान सूरतगढ़ होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल सूरतगढ स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार की पक्षकारों पर लागू होंगा।

निविदा–प्रपत्र

दिनांक–05.07.2019

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सरदारगढ़ (राज0)।

चकों पर गिरें/सूखें पेड़ों को अपनें साधन/आदमीयों से लानें के लिए टेण्डर

क्रं0	ब्लॉक नं0	अनुमानति वजन (कुंटल में)	रकम प्रति क्विंटल रूपयों में जो फार्म से लेनी हैं
1.	खण्ड नं0 – 4	3000.00	
2	खण्ड नं0 – 5	3000.00	

ठेकेदार के हस्ताक्षर ....
ठेकेदार का नाम व पता ....
....
....
मोबाईल नं0 ....
सलंग्न डी.डी. न..
डी.डी. की राशि..
डी.डी. की तारिख..
निविदादाता का बैंक खाता न..
बैंक का आईएफएससी कोड़..
बैक का नाम..

ब्रांच का पता...